समाहरणालय गोपालगंज
(जिला योजना कार्यालय)
आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.13 को माननीय मंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा योजनावार प्राक्कलन राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 1438 दिनांक 30.10.13 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, गोपालगंज के द्वारा प्रदत तकनिकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृती योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृती की राशि	प्रशासनिक स्वीकृती की राशि
1	2	3	4	5
1	गोपालगंज	प्रखंड गोपालगंज के कैथवलिया,वार्ड नं0–07 में देवी स्थान के पास सामुदायिक भवन का जिर्णोधार निर्माण कार्य सहित।	5,00,900.00	5,00,900.00
		कुल योगः–	5,00,900.00	5,00,900.00

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– इन स्वीकृती योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा संपादित किया जायेगा।

कार्यान्वयन की शर्ते :–

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि स्थल विवादग्रस्त नही है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पडती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूद्ध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।
2. प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक 3757 दिनांक 02.09.13 संलग्न पत्र एवं सचिव पथ निर्माण विभाग,बिहार,पटना के संकल्प सं0 6831 दिनांक 26.08.2013 के कंड़िका नियम 159(क) 1 में निहित निदेश के आलोक में 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 मात्र कम राशि की योजनाओं के लिए दैनिक समाचार पत्र/इन्टरनेट मे निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 से कम लागत की योजनओं के लिए स्थानीय स्तर पर पचार–प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। 7.50 (सात लाख पचास हजार) रू0 के उपर की योजनाओ पर बिहार लोक निर्माण संहिता की अन्य शर्त्त यथावत रहेगी।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुररीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किस्त की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।
5. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।

होगी।

7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
8. योजना स्थल पर स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
13. प्रत्येक माह की 2 री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेगें।

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 690 / दिनांक 18-11-13

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मनेजर, एन0आई0सी0 गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

18.11.13

जिला योजना पदाधिकारी,
गोपालगंज।

Indrajit/y-18-11-13